संख्या-729/2026/1522/22-2-2025-17(986)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबचन यादव पुत्र श्री जीता यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-28437/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2025), दिनांक 14.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबचन यादव पुत्र श्री जीता यादव, जो-चकवारा, थाना-रानी की सराय, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। प्रथम घटना में बंदी द्वारा दुकानदारों के यहां कुछ खाने के बाद पैसे न दिये जाने पर वादी द्वारा उपरोक्त कार्य करने से मना करने की रंजिशवश बंदी ने दिनांक 13.07.1993 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर कुमारी सरोज, पंचम यादव नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 04 अन्य को घायल कर दिया। द्वितीय घटना में दिनांक 25.04.2008 को बंदी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बंदूक से फायर करके राकेश कुमार सिंह, नीरज सिंह, बिट्टू सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा पिंटू सिंह नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। बन्दी को (1) एसटी नं0-181/1994, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० न्यायायलय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04 आजमगढ़ के आदेश दिनांक 18.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2024 को बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) एस०टी०नं0-651/08, धारा-302/120बी, 307/120बी आई०पी० सी० के अन्तर्गत मा० न्यायायलय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक-09.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की तथा द्वितीय केस में दिनांक 09.06.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 05 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1558/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित किये जा सकने व जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक 13.05.2025 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना में बंदी द्वारा दुकानदारों के यहां कुछ खाने के बाद पैसे न दिये जाने पर वादी द्वारा उपरोक्त कार्य करने से मना करने की रंजिशवश बंदी ने दिनांक 13.07.1993 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर कुमारी सरोज, पंचम यादव नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 04 अन्य को घायल कर दिया। द्वितीय घटना में दिनांक 25.04.2008 को बंदी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बंदूक से फायर करके राकेश कुमार सिंह, नीरज सिंह, बिट्टू सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा पिंटू सिंह नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवबचन यादव पुत्र जीता यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबचन यादव (बन्दी संख्या-54/11) पुत्र श्री जीता यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-729/2026/1522(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-729/2026/1522/22-2-2025-17(986)/2025

दिनांकः 11 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबचन यादव पुत्र श्री जीता यादव, जो-चकवारा, थाना-रानी की सराय, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। प्रथम घटना में बंदी द्वारा दुकानदारों के यहां कुछ खाने के बाद पैसे न दिये जाने पर वादी द्वारा उपरोक्त कार्य करने से मना करने की रंजिशवश बंदी ने दिनांक 13.07.1993 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर कुमारी सरोज, पंचम यादव नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 04 अन्य को घायल कर दिया। द्वितीय घटना में दिनांक 25.04.2008 को बंदी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बंदूक से फायर करके राकेश कुमार सिंह, नीरज सिंह, बिट्टू सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा पिंटू सिंह नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। बन्दी को (1) एसटी नं0-181/1994, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० न्यायायलय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04 आजमगढ़ के आदेश दिनांक 18.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2024 को बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) एस०टी०नं0-651/08, धारा-302/120बी, 307/120बी आई०पी० सी० के अन्तर्गत मा० न्यायायलय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक-09.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की तथा द्वितीय केस में दिनांक 09.06.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 05 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 26 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1558/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित किये जा सकने व जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक 13.05.2025 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना में बंदी द्वारा दुकानदारों के यहां कुछ खाने के बाद पैसे न दिये जाने पर वादी द्वारा उपरोक्त कार्य करने से मना करने की रंजिशवश बंदी ने दिनांक 13.07.1993 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर कुमारी सरोज, पंचम यादव नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 04 अन्य को घायल कर दिया। द्वितीय घटना में दिनांक 25.04.2008 को बंदी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बम, कट्टा, बंदूक से फायर करके राकेश कुमार सिंह, नीरज सिंह, बिट्टू सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा पिंटू सिंह नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। जिला

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

anadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिवबचन यादव पुत्र जीता यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।